अध्याय V: तटरक्षक

अधिप्राप्ति

5.1 वायु कुशन यान की अधिप्राप्ति में प्रक्रिया का अनुपालन नहीं होना

भारतीय तटरक्षक ने 223.26 करोड़ रूपए की कीमत पर 12 वायु कुशन यानों की अधिप्राप्ति की, जो तय प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं थी, इस कारण संभावित बोली लगाने वाले विक्रेताओं को समान मौका नहीं मिलने के कारण अपने भुगतान किए गए मूल्य की किफायत की अनुकूलता पर संदेह उत्पन्न होता है।

वायु कुशन यानों (ए.सी.वी.) का उपयोग बहु प्रयोजनात्मक समुद्री परिचालन, जैसे कि उथले पानी व दलदलीय क्षेत्रों में तीव्र गति तटीय गश्त, समुद्री उभयचर परिचालन, तीव्र गति अवरोधन व अंतरावरोधन एवं उथले पानी में तलाश एवं बचाव कार्यों के लिए होता है। ए.सी.वी. अन्य जहाजों की तुलना में गति के संदर्भ में एक लाभ की स्थिति रखते हैं व अधिकतम[1] व सामान्य गति[2] इसके अति महत्त्वपूर्ण मापदंड है क्योंकि जहाज/यान का अपने कुल संचालन समय के अनुमानित 10 प्रतिशत समय पर अधिकतम गति, 70 प्रतिशत समय में सामान्य गति व संचालन समय के शेष 20 प्रतिशत समय को कुशलता की अपेक्षा वाली क्रियाओं के लिए उपयोग करने हेतु इनका ढांचा बनाया जाता है। उपकरण के अति महत्त्वपूर्ण व अन्य आवश्यक प्राचल 'स्टाफ गुणात्मक आवश्यकताएँ' (एस.क्यू.आर.)[3] नाम से जाने वाले दस्तावेज में दर्शाई जाती है। आवश्यकता की स्वीकृति (ए.ओ.एन.) भी एस. क्यू. आर. के आधार पर ही मिलती है।

भारतीय तटरक्षक (आई.सी.जी.) ने (जनवरी 2007) 12 ए.सी.वी. की खरीद के मामले की शुरूआत की। रक्षा खरीद प्रक्रिया (डी.पी.पी - 2008) के आधार पर आई.सी.जी.ने (मई 2009) में प्रारूप एस.क्यू.आर. को स्वीकृत किया व प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.) को (अगस्त 2009) में 13 विक्रेताओं को जारी किया। केवल 2 विक्रेताओं अर्थात् मैसर्स ग्रिफोन

---

1 अधिकतम गति वो गति है जो एक यान द्वारा 100 प्रतिशत इंजन शक्ति पर, अधिकतम पूर्ण वजन पर शांत जल व स्थिर हवा में पाई जाती है। यह गति नौटिकल मील प्रति घंटा (नॉट) में मापी जाती है।

2 सामान्य गति एक यान द्वारा पाई जाने वाली वो गति है, जिस पर यान अधिकतम सीमा (जो कि पुनः ईंधन भरवाए बिना तय/भ्रमण की गई दूरी है) पा सके। यह गति नौटिकल मील प्रति घंटा (नॉट) में मापी जाती है।

3 स्टाफ गुणात्मक आवश्यकताएँ (एस.क्यू.आर.)- यह वह दस्तावेज़ है जो उपकरण से संबंधित अति महत्त्वपूर्ण व अन्य आवश्यक प्राचल को स्पष्ट करता है।

होवर वर्क्स लिमिटेड (जी.एच.एल.), यू.के. व मैसर्स ई.पी.एस. कोर्पोरेशन, यू.एस.ए. ने ही अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्तावों के द्वारा अपनी निविदाएं दीं। रक्षा मंत्री (आर.एम) ने (अगस्त 2010) में मैसर्स जी.एच.एल.,यू.के. से 12 ए.सी.वी. के अधिग्रहण के लिए मूल्य निर्धारण कमेटी (सी.एन.सी.) द्वारा दी गई सिफारिशों को स्वीकृत किया। उसके बाद, रक्षा मंत्रालय (मंत्रालय) ने संस्वीकृति प्रदान की (सितंबर 2010) व 31.95 मिलियन ब्रिटिश पाउंड[4] (223.26 करोड़ रूपए) के कुल मूल्य पर अप्रैल 2012 व जनवरी 2015 के बीच आपूर्ति हेतु 12 ए.सी.वी. के अधिग्रहण हेतु अनुबंध किया (अक्टूबर 2010)।

हमारी जाँच में पाया गया कि एस.क्यू.आर. त्रूटिपूर्ण थे। यद्यपि एस.क्यू.आर. में नौ घंटे के दमखम का प्रावधान रखा गया था, आई. सी. जी. के पास विद्यमान ए.सी.वी. की सामान्य गति 35 नॉट होने के बावजूद उसमें सामान्य गति के लिए कोई निर्धारित आवश्यकता नहीं रखी गई थी।

दूसरी तरफ आर.एफ.पी. (अगस्त 2009) में कहा गया था कि नौ घंटे के दमखम के अलावा 45 नॉट की सामान्य गति, 400 नॉटिकल मील की सीमा और 45 नॉट की अधिकतम गति का प्रावधान हो। दोनों विक्रेताओं अर्थात् मैसर्स जीएचएल व मैसर्स ई.पी.एस. ने अपने ए.सी.वी. के लिए क्रमशः 35 नॉट व 30 नॉट की सामान्य गति की पेशकश की। तथापि प्रस्तावों का एस.क्यू.आर. से मिलान ना होने के बावजूद नई आर एफ.पी. जारी नहीं की गई और बोली से पूर्व विक्रेताओं के साथ की गई बैठक में जिसमें केवल चार विक्रेताओं ने भाग लिया, सामान्य गति की आवश्यकता को पूर्ण रूप से हटा दिया गया। यह विलोपन रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) 2008 के उल्लंघन में था, क्योंकि डी.पी.पी. आर.एफ.पी. में दिए गए प्राचलों में परिवर्तन के बजाय केवल उनमें स्पष्टीकरण की अनुमति देता है। डी.पी.पी. के अनुसार, आर.एफ.पी. से विचलन आर.एम. द्वारा अनुमोदित होने चाहिए, परन्तु मामला रक्षा खरीद बोर्ड (डी पी बी) के माध्यम से आर. एम. को अनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

मंत्रालय ने (अप्रैल 2012) यह मानते हुए कि अधिकतम गति, सामान्य गति और दमखम ए.सी.वी. के अपने महत्त्वपूर्ण प्राचल हैं, यह बताया कि आर. एम. द्वारा अनुमोदित ए.ओ.एन. के दस्तावेज में सामान्य गति का उल्लेख नहीं था। मंत्रालय ने यह भी माना कि बोली से पूर्व की बैठक में सामान्य गति का विकल्प अभिकल्पक पर ही छोड़ने के लिए आर. एफ. पी. में उल्लेखित 45 नॉट की सामान्य गति को संशोधित कर 'केवल सामान्य गति' कर दिया गया था। लचीलेपन का तर्क समझाया नहीं गया जबकि तटरक्षक के पास विद्यमान ए.सी.वी. की सामान्य गति 35 नॉट है।

---

[4] 1 ब्रिटिश पाउंड = 69.87 रूपए।

अतः इस मामले से पता चलता है कि ए.सी.वी. की खरीद, आर. एफ.पी. में दिए गए एस.क्यू.आर. के समृद्धिकरण के आधार पर की गई। महत्त्वपूर्ण आवश्यकता को बाद में आर. एफ. पी. के जबाव में निविदा देने वाले कुछ विक्रेताओं के साथ बोली से पूर्व हुई बैठक में हटा दिया गया। प्रक्रिया में इस खराबी के कारण अन्य विक्रेताओं को समान प्रतिस्पर्धा का मौका नहीं मिला व मंत्रालय को सीमित प्रस्ताव ही मिलने का यह एक कारण हो सकता है। इस प्रकार 223.26 करोड़ रूपए के मूल्य पर तटीय सुरक्षा के लिए की गई इस अधिप्राप्ति पर यह प्रश्नचिन्ह लगता है कि क्या यह अत्यन्त किफायती मूल्य पर की गई है। इसके अलावा उपकरणों की संचालन उपयुक्तता भी संदेहजनक है ।

नई दिल्ली
दिनांक

(एस.के.जयपुरियार)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वायु सेना

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

संलग्नक

(पैराग्राफ 1.11.2 के संदर्भ में)

सितम्बर 2012 तक अपेक्षित ए.टी.एन की सूची

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या और वर्ष	पैराग्राफ संख्या	किससे सम्बन्धित है	विषय
1	2010-11 की अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 16	2.3	रक्षा मंत्रालय	संतुष्टि शॉपिंग कॉम्पलेक्स का नियम विरूद्ध वाणिज्यिक दोहन
2	2010-11 की अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 16	2.8	रक्षा मंत्रालय	विश्व सैन्य खेल 2007 के आयोजन में वित्तीय अनियमितताएँ
3	2010-11 की अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 16	3.2	रक्षा मंत्रालय	माइक्रोलाइट वायुयान की खरीद में अनियमितताएँ
4	2010-11 की अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 16	3.5	रक्षा मंत्रालय	रिहायशी आवास के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क की दरों का परिशोधन न किए जाने के कारण राजस्व की हानि
5	2010-11 की अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 16	4.7	रक्षा मंत्रालय	विक्रेताओं के दावे निपटाने में आवश्यक सावधानी का अभाव
6	2010-11 की निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 7	अध्याय-1	रक्षा मंत्रालय	भारतीय वायुसेना में एम.आई श्रेणी के हेलिकॉप्टरों का प्रचालन एवं अनुरक्षण
7	2011-12 की अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20	2.6	रक्षा मंत्रालय	नौसेना भंडारों की अधिप्राप्ति में परिहार्य व्यय
8	2011-12 की अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20	4.3	रक्षा मंत्रालय	गैस टरबाइन की अधिप्राप्ति में अतिरिक्त व्यय
9	2011-12 की अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20	4.4	रक्षा मंत्रालय	पनडुब्बियों पर एस.पी.एल. प्लॉटिंग टेबलों की अधिस्थापना में असाधारण विलंब
10	2011-12 की अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20	4.9	रक्षा मंत्रालय	मिट्टी के तेल की भुगतान आबंटन दरों का परिशोधन न किया जाना